मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 19–20/2018/1/4 :: माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 19147/2013 (पी.आई.एल) में पारित आदेश दिनांक 26/02/2018 को मेडिको लीगल रिपोर्ट एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट को उच्च न्यायालय या राज्य सरकार के वेब सर्वर पर डालने के निर्देश दिये गये है। इस संदर्भ में संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के शीघ्र परिपालन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अन्तर्विभागीय समिति का गठन करता है :–

1	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	**अध्यक्ष**
2	प्रमुख सचिव, विधि	सदस्य
3	सचिव, गृह	सदस्य
4	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
5	सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
6	संचालक, लोक अभियोजन या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7	आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य
8	आयुक्त, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
9	अति. पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाए	सदस्य
10	संचालक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला	सदस्य
11	संचालक, मैडिकोलीगल संस्थान	सदस्य
12	राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
13	संचालक, स्वास्थ्य से.ऐं, अ.प्र.	सदस्य सचिव

2/ उपरोक्त समिति समय–समय पर बैठक आयोजित कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के कियान्वयन हेतु एक रोडमेप बना कर एवं आवश्यकतानुसार हरियाणा/पंजाब में लागू व्यवस्था का परीक्षण कर मध्यप्रदेश में भी एक सुदृढ व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही करेगी। उक्त समिति का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर..................2

पृ. कमांक एफ 19—20 / 2018 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2018

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर उनकी टीप कमांक 1168 / प्र.स. / लोक स्वा.परि.कल्याण दिनांक 03 / 07 / 208 के संदर्भ में उनकी नस्ती सहित मूलतः अंकित ।
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग